FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** STATE VIGILANCE AND **P.S.(थाना):** KULLU **Year(वर्ष):** 2023
   FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0001 **Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):** 16/02/2023 10:21 PM

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	INDIAN FOREST ACT, 1927	32
2	INDIAN FOREST ACT, 1927	33
3	IPC 1860	379
4	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	14

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** Thursday **Date From(दिनांक से):** 16/02/2023 **Date To(दिनांक तक):** 16/02/2023
      Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 09:01 AM **Time To (समय तक):** 07:00 PM

   (b) **Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date(दिनांक):** 16/02/2023 **Time (समय):** 08:58 PM
   (c) **General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ):** **Entry No.(प्रविष्टि सं.):** 013 **Time (समय):** 16/02/2023 08:58 PM

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 40 Km(s) **Beat No(बीट सं.) :**
      (b) **Address(पता):** Bhat Karal , Kullu , 175101
      (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
      Name of P.S(थाना का नाम): SADAR KULLU **District(State)(ज़िला(राज्य)):** KULLU(HIMACHAL PRADESH)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** Oma Thakur
   (b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष):** 24/02/1988 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No (यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
1	Any Other	000

   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	VILLAGE-PS SVand ACB KULLU , PS-KULLU, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, 175101, INDIA

1	**Present Address**	VILLAGE-PS SVand ACB KULLU , PS-KULLU, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, 175101, INDIA
2	**Permanent Address**	VILLAGE-PS SVand ACB KULLU , PS:KULLU, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, 175101, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): **Mobile (मोबाइल**

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name(रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थाई पता)
1	Anshul Arora		COLONY-Mundal Garh beat,VILLAGE-Forest Guard ,TEHSIL-Kullu ,PS-PATLIKUHAL,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	COLONY-Mundal Garh beat,VILLAGE-Forest Guard ,TEHSIL-Kullu ,PS-PATLIKUHAL,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ती के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	OTHERS	FOREST PRODUCTS	INVOLVED IN A CASE/CRIME	Two Green Teee Of Kail , one Tree Deodar	

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

इस समय निरीक्षक ओमा ठाकुर अन्वेषणाधिकारी थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो कुल्लू द्वारा लिखित रुका वदस्त आरक्षी दुर्गा सिंह के थाना में अभियोग पंजीकृत करने हेतु प्राप्त हुआ है। जिसका सार निम्नलिखित है। "सेवा में, थाना प्रभारी, थाना रा.स. एवं भ्र. रोधी ब्यूरो,कुल्लू, जिला कुल्लू (HP.) श्री मान जी, राजकीय कार्य के संदर्भ में निवेदन है कि आज दिनांक 16/2/23 को मन निरीक्षक मय निरीक्षक राम नाथ, HASI थरचेन छैरिंग, आरक्षी राजेश कुमार, आरक्षी दुर्गा सिंह, HHG कुर्मदत 7/2-74 व HHG हीरा लाल 7/5-02 व सवारी गाडी सरकारी न0HP 33A-8793 जेर चालक आ0 रोशन लाल के मुताविक रपट न0 5 रोजनामचा दिनांक 16-2-23 के बराय करने तस्दीक हालात अवैध कटान मुकाम भाटकराल (वेगन) जंगल वन वीट मंडलगढ पहुंची तो वहां पर हमराही मुलाजमानों के साथ जंगल की तलाशी अमल में लाई गई तो जंगल में दो पेड कायल (हरे) व एक पेड हरा देवदार कुछ-2 दूरी पर काटे हुए पाए गए। काटे गए पेडों के मुढों को चैक किया तो इन पर कोई हैंमर आदि लगना न पाए गए जो शक अवैध कटान होने पर वन परिक्षेत्र पतलीकुलह के अधिकारियों से सम्पर्क करके मौका पर आने के लिए तलब किया गया। जिस पर श्री टीटू वन परिक्षेत्र अधिकारी पतलीकुलह अपनी विभागीय टीम Sh. वलवन्त सिंह B.O फोजल, Sh. योगराज वन रक्षक वन वीट फोजल, Sh.अंशुल आरोडा वन रक्षक वन वीट मंडलगढ़ तथा वन रक्षक मान सिंह वन वीट नेरी के हाजिर मौका जंगल मंडलगढ़ (वेगन) आए । इन्हें हालात वतला कर इन काटे गए पेडों के बारे में पुछा गया कि काटे गए पेड़ T.D में स्वीकृतशुद्धा है या नहीं। जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा वतलाया गया कि तीनों पेड T.D में स्वीकृतशुद्धा न है जो पूरा यकीन है कि तीनों हरे पेड़ किन्हीं अज्ञात वन काटुओं /व्यक्तियों द्वारा काटे गए हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी व वन रक्षक वन वीट मंडलगढ़ अंशुल आरोडा से यह भी पुछा गया कि इन काटे गए पेडों की कोई Damage रिपोर्ट आपके द्वारा काटी गई है या नहीं जिस पर अंशुल आरोडा ने जाहिर किया कि इन पेडों के काटे जाने की कोई Damage Report इसके द्वारा न काटी गई है तथा न ही इसने इस बारे अपने उच्चाधिकारियों को लिखित व मौखिक रुप से सुचित किया है। जो तीनों काटे गए हरे पेड़ अबैध कटान के पाए जाने पर Sh. वलवन्त सिंह B.O फोजल, Sh. योगराज वन रक्षक वन वीट फोजल को शामिल तफतीश करके काटे गए पेडों की पैमाईश अलग-अलग अमल में लाने पर पहले काटे हरे कायल के पेड़ जो कि गांव भाटकराल से करीव 2 K.M की दूरी पर जंगल मंडलगढ़ में काटा बरामद हुआ है। जिस काटे गए पेड़ की वन विभाग के अधिकारीयों व कर्मचारियों से पैमाईश करने पर पेड़ न0 -1 की मुढे से गोलाई 165 CM पाई गई व अगले हिस्से पेड़ की लम्बाई मापने पर 30 फुट पाई गई है। जो इस पेड़ पर हरी टैहनियां भी पाई गई है। यह पेड़ 3rd class का पाया गया है। इस काटे गए पेड के मुढा से एक टुकडा लकडी बतौर Sample काट कर निकाला गया जिसे मार्क AS-1 दिया गया है व अगले हिस्से से भी टुकडा लकडी बतौर Sample निकाला जा कर AS-2 दिया है। इस काटे गए कायल के पेड़ से आगे करीब 300mts दूरी पर दूसरा अवैध रुप से काटा गया हरा

पेड़ बरामद हुआ है। इसकी पैमाईश करने पर मुढें से गोलाई 168 CM पाई गई व अगले कटे हिस्से पेड़ की लम्बाई मापने पर 35 फुट पाई गई है। ब्रामदा पेड़ मुढा कायल से एक टुकडा बतौर Sample निकाला गया जिसे मार्क AS-3 व अगले हिस्से से भी एक टुकडा निकाल कर मार्क AS-4 दिया गया है व इसी काटे गए पेड़ से आगे करीब 400 मी0 की दूरी उतर पश्चिम दिशा में अवैध रुप से काटे गए पेड़ देवदार की पैमाईश करने पर मुढें की गोलाई 30 cm पाई गई जिसकी class – III Category पाई गई। काटे मुढां से एक अलग टुकडा बतौर Sample निकाला गया तथा इसे मार्क BS -1 दिया गया तथा अगले हिस्से से भी एक अदद Sample निकाला गया जिसे मार्क BS -2 दिया गया है। काटे गए दोनों हरे कायल के पेडों की Class –B-II वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वतलाई गई है। उपरोक्त लिए गए सभी Samples को एक अदद पुलिंदा कपडा में डाल कर पुलिंदा को मोहर 'K' की '8'मोहरो से सर्वमोहर किया गया। नमूना मोहर अलग कपडा पर ली गई। मोहर बाद प्रयोग हवाले गवाह वलवन्त सिंह B.O के करी गई। पुलिंदा नमूना लकडी व नमूना मोहरों को फर्द द्वारा बतौर वजह सवूत कब्जा पुलिस में लिया गया व काटे गए पेड़ जो अभी पूरे-2 मौका जंगल में पडे हैं। जिन्हें बिना चरान करवाये ले जाना असम्भव है। जिस कारण इन्हें मौका पर ही इसी फर्द द्वारा Sh. वलबन्त सिंह वन खण्ड अधिकारी फोजल के सपुर्द किया गया व हिदायत करी गई कि इन पेडों का शीघ्र चरान व ढुलान करवा कर वन परिक्षेत्र कार्यालय डिपो में जमा करें ताकि माल मुकदमा चोरी व नुकसान होने से वच सके। फर्द मौका पर तैयार करी गई। फर्द पर श्री वलबन्त सिंह B.O फोजल ने बतौर प्राप्त कर्ता पेड़, Sh. योगराज वन रक्षक वन वीट फोजल तथा आरक्षी राजेश कुमार द्वारा बतौर गवाह अपने-2 हस्ताक्षर किए हैं। फर्द की प्रति निशुल्क वलवन्त B.O को दी गई है। काटे गए दोनों पेड कायल करीब 15-20 दिन पहले काटे जाने मालुम हो रहें हैं व काटा गया पेड देवदार 1 या 1-1/2 माह पहले काटना मालूम हो रहा है। जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि वन रक्षक वन वीट मंडलगढ़ अंशुल आरोडा द्वारा अपनी डियुटी (सरकारी) को मुताविक विभागीय नियम अनुसार न करना पाया जा रहा है तथा न ही अंशुल आरोडा वन रक्षक द्वारा कोई Damage Report काटी गई व न ही अपने उच्च अधिकारियों को लिखित व मौखिक सूचना दी है। इन अबैध रुप से काटे गए तीनों हरे पेड़ कायल व देवदार से सरकारी वन सम्पदा का नुकसान हुआ है तथा अज्ञात वन काटुओं द्वारा इन काटे गए अवैध कटान से उनके विरुद्ध जुर्म जेर धारा 32,33 IF Act व 379 IPC का होना पाया जा रहा है तथा वन रक्षक अंशुल द्वारा अपनी सरकारी डियुटी में लापरवाही /कोताही तथा वन सम्पदा को पहुंचे नुकसान की व पेडों के काटने की सूचना अपने विभाग के अधिकारियों को न करने के कारण इसके विरुद्व जुर्म जेर धारा 14 OF HPPSCP Act का जद में आना पाया जा कर असल रुका तैयार करके वगर्ज कायमी मुकदमा वदस्त आरक्षी दुर्गा सिंह के थाना भेजा जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत करके नम्वर मुकदमा से सूचित करें। मन निरीक्षक मय हमराहीयान के दीगर तफतीश मौका में व्यस्त होती हूँ"। sd/- Insp.Oma Thakur PS SV&ACB Kullu (HP) Dt.16-02-23 at 7 pm camp at मंडलगढ व मुकाम जंगल मंडलगढ़(वेगन) (वन वीट) दिशा उत्तर व फासला करीव 40 K.M. कार्यवाही थानाः हस्व आमदा रुका को शव्द व शब्द लिखा जा कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपियां तैयार की गई। मुकदमा हजा का इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्ट्रात में किया जा रहा है। जुर्म विशेष नोईयत का है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट को ही विशेष प्रतिवेदन रिपोर्ट समझा जाए। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति माननीय विशेष न्यायधीश कुल्लू को वदस्त मानक मुख्य आरक्षी सतीश कुमार के भेजी जा रही है। मिसल मुकदमा तैयार करके आरिन्दा आरक्षी दुर्गा सिंह के वर मौका निरीक्षक / अन्वेषणाधिकारी ओमा ठाकुर के भेजी जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का नाम): Oma Thakur **Rank (पद):** INSP. (Inspector)
No(सं.): 29786 **to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or**

(3) Refused investigation due to(जांच के लिए):
or (के कारण इंकार किया या)
Transferred to P.S.(थाना): **District(ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Ajay Kumar
Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)
No(सं.): NA

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)